भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-564

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी के स्टेशनों से आवंटित बिजली का विभाजन

564. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

मंत्रालय नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन से आवंटन के अलावा ओडिशा के बाहर स्थित लगने वाले एनटीपीसी स्टेशनों से आवंटित बिजली का विभाजन कब अधिसूचित करेगी ताकि राज्य पर बिजली प्राप्त किए बिना नियत लागत का भुगतान करने का बोझ न पड़े?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

उत्तर : राज्यों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर एनटीपीसी ने अपने लाभार्थी राज्यों के लाभ के लिए विद्युत स्टेशन चालू किए हैं। तदनुसार, ओडिशा सहित राज्यों एवं एनटीपीसी के बीच विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ओडिशा सरकार ने 28 जून, 2014 के पत्र के तहत राज्यों से बाहर स्थित एनटीपीसी स्टेशनों की विद्युत अभ्यर्पित की है। यह विद्युत प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों को ओडिशा सरकार का अनुरोध भेज दिया गया है तथा इस अनुरोध के साथ कि इच्छुक राज्य ऐसी विद्युत प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर भी पत्र पोस्ट कर दिया गया है।

सीईआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्पित विद्युत अन्य लाभार्थियों को पुन:आवंटित की जा सकती है यदि वे ऐसी विद्युत प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर ओडिशा द्वारा अभ्यर्पित न्यू नबीनगर यूनिट-I से 155 मेगावाट विद्युत उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई थी। अन्य **लाभग्राही** राज्यों द्वारा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों **से** ओडिशा की अभ्यर्पित विद्युत का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान में, विद्युत मंत्रालय के पास कोई अनुरोध नहीं है।

****